

प्रमाणित प्रतिलिपि
हुम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

क्र. नं. - 124/2023

तारीख
हुम

09.01.2024

वाजदायरी

पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वाजदायरी में अवगत कराया है कि प्रकरण वादिया की मृत्यु होने पर वादिया के वारिसान् द्वारा कायम मुकामान् का आवेदन पेश कर दिया गया था परन्तु दिनांक 30.10.2023 को प्रार्थी अदालत में दूसरे मामले की तारीख पेशी पर जाने की वजह से तारीख पेशी का पता नहीं चलने पर हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आने के कारण प्रकरण अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 28.06.2023 को खारीज हो जाने तथा जिसकी जानकारी वकील प्रार्थीगण को नकल लेने पर किसी प्रकार का कोई विलम्ब किये बिना प्रकरण में वाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिये जाने से वाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर पुनः नम्बर पर लिये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी द्वारा किया गया है।

हमने वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर सगौर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वकील प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र वाजदायरी स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर वाजदायरी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा वाद पत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाता है। वकील प्रार्थी को मूल वाद पत्र में न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.01.2024 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया जाता

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

सुरजन उर बनल लेल होलदरकी

हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताकर जज

अनपनवाधकारी

अ.स. - 124/2023

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

है। पत्रावली फौसल शुमांर होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर
हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.01.2024 को मेरे
द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)